

कार्यालय—मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 3326 / वाद सं० सी-0329/एस-5/2025 दिनांक: 10/11/ 2025

श्री सर्वेश्वर दत्त,
रावत मौहल्ला, बालावाला,
निकट इण्टर कॉलेज, देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 50 गुणा 15 फीट क्षेत्रफल में चार दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.04.25 को उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0329/एस-5/2025 योजित किया गया था। जिसे स्थल पर दिनांक 01.05.25 को तामिल किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आपके द्वारा उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.05.2025 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहे, विपक्षी द्वारा अपने निर्माण को शमन कराने हेतु अभिलेख/मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया जिस क्रम में विपक्षी को विभिन्न तिथियां नियत की गयी जिसमें विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहे। प्राधिकरण ड्राफ्ट्समैन व क्षेत्रीय अभियन्ता आख्यानसार प्रश्नगत स्थल फ्रीज जोन व स्थल पर निर्मित दुकाने शमन योग्य नहीं हैं।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्री सर्वेश्वर दत्त, रावत मौहल्ला, बालावाला, निकट इण्टर कॉलेज, देहरादून द्वारा स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 50 गुणा 15 फीट क्षेत्रफल में चार दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को 28(क) के अन्तर्गत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक ~~17-11-25~~ को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।